वैयक्तिक विभिन्नताओं की जानकारी का शैक्षणिक महत्त्व (Educational Implication of Individual Differences)

व्यक्तियों में व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताओं तथा योग्यताओं में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, इस तथ्य के ज्ञान ने शिक्षा जगत में वैयक्तिक प्रवृत्तियों (Individual Tendencies) को जन्म दिया है। संक्षिप्त रूप में वैयक्तिक भेदों के सिद्धान्त ने अध्यापकों को निम्न प्रकार की जानकारी दी है–

1. किसी भी समूह में ऐसे व्यक्तियों का पाया जाना स्वाभाविक है जो गुणों और विशेषताओं के दृष्टिकोण से दूसरों से बहुत भिन्न प्रतीत हों इस तरह सामान्य बच्चों के साथ अत्यधिक मूर्ख और प्रतिभाशाली बच्चों की उपस्थिति कक्षा में सम्भव है।
2. सभी की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों और अभिवृत्तियों आदि में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, फलस्वरूप अध्यापक को प्रत्येक बच्चे को पूरी तरह जान कर उसे व्यक्तिगत सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिये, ताकि वैयक्तिक अन्तर को ध्यान में रखते हुये उनका समुचित विकास कर सकें।

3. कक्षा में सभी बच्चों की एक सी सफलता और प्रवीणता की आशा करना व्यर्थ है। कुछ विद्यार्थी अनुकूल रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति तथा यथेष्ट बुद्धि और पूर्वज्ञान के अभाव में से किसी एक या अन्य क्षेत्र में दूसरों से पीछे रह सकते हैं। उनके व्यक्तिगत अन्तर को ध्यान में रखते हुये उनसे घृणा करना अथवा उन्हें बलपूर्वक काम पर लगाये रखना उचित नहीं है।
4. सभी विद्यार्थी वैयक्तिक भेदों की उपस्थिति के कारण किसी एक विशेष शिक्षण विधि और निश्चित पाठ्यक्रम से पूरा लाभान्वित नहीं हो सकते। इस तथ्य को भुला देना भी ठीक नहीं है।

विद्यालय में वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिये व्यवस्था (Provision for the Individual Differences in Schools)

वैयक्तिक भिन्नताओं द्वारा शिक्षण और विकास प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किये जाने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के वैयक्तिक भेदों का पूरा ध्यान रखा जाये। इस आवश्यकता को प्रकाश में लाते हुये क्रो एवं क्रो (Crow and Crow) ने लिखा है–

"क्योंकि हमें व्यक्ति विशेष को पढ़ाना होता है, व्यक्तियों के समूहों को नहीं, इस कारण विद्यालय का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने बजट, अध्यापकों, कर्मचारी गण व पाठ्यक्रम सम्बन्धी सीमाओं को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक विद्यार्थी को चाहे वह दूसरों से कितना भी भिन्न क्यों न हो, विद्यार्जन के समुचित अवसर प्रदान करे।"

(Since we supposedly are teaching individuals, not groups of individuals it is the function of the school within its budgetary, personnel, and curricular limitation to provide adequte schooling for every learner no matter how much he differs from every other learner.— 1973, p. 215)

इस कार्य को हम कैसे पूरा करें? अब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि निस्सन्देह प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी अपनी वैयक्तिकता के दृष्टिकोण से शिक्षा देना साधारण कार्य नहीं है, फिर भी अध्यापकों के लिये कुछ निम्नलिखित सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं–

1. वैयक्तिक क्षमताओं व योग्यताओं का उचित ज्ञान (Proper knowledge of the individual's abilities and capacities)–वैयक्तिक भेदों के अनुसार शिक्षा देने के लिये सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि अध्यापक बच्चे की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें भली-भाँति जानने का प्रयत्न करे। इस कार्य के लिये बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि-परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र (Cunulative Record Card), रुचि और अभिवृत्तियों का पता लगाने वाले साधनों तथा व्यक्तित्व को आँकने वाले परीक्षणों की पूरी-पूरी सहायता ली जानी चाहिये।

2. योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना (Ability grouping)–वैयक्तिक योग्यताओं और क्षमताओं के रूप में वैयक्तिक भेदों की जानकारी होने के पश्चात् किसी भी कक्षा अथवा श्रेणी विशेष में कार्य करने वाले विद्यार्थियों को समान स्तर के समूहों में विभक्त किया जा सकता है। इस प्रकार वर्गीकृत कर शिक्षा प्रदान करने में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जा सकता है।

3. पाठ्यक्रम को समायोजित करना (Adjusting the curriculum)–व्यक्तिगत भेदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पाठ्यक्रम जितना अधिक लचीला (Flexible) और विभिन्नतायें लिये हो, उतना अच्छा रहता है। बच्चों को उनकी अपनी योग्यताओं और रुचियों के अनुकूल विषयों तथा क्रियाओं का चुनाव करने के लिये उनमें विविध पाठ्यक्रमों तथा अधिगम अनुभवों की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु इसमें उचित परिवर्तन किये जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

4. शिक्षण विधियों को समायोजित करना (Adjusting the method of teaching)—व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण विधियों के भी ठीक प्रकार से चुनने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्यापक को एक प्रकार से ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिये कि वह अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त शिक्षण विधि और तकनीकों को अपना सके। समान योग्यता और शक्तियों के दृष्टिकोण से शिक्षा देने के लिये उसे विभिन्न विधियों और तकनीकों को प्रयोग में लाने की चेष्टा करनी चाहिये।

5. व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिये विशिष्ट कार्यक्रम अथवा विधियों को अपनाना (Adopting special programmes or methods for individualizing instruction)—विद्यार्थियों को अपनी वैयक्तिक गति से आगे बढ़ने देने के लिये विद्यालयों में कुछ विशेष कार्यक्रम अथवा शिक्षण विधियों जैसे डाल्टन प्लान (Dalton Plan), विनेक्टा प्लान (Winnekta Plan), योजना विधि (Project Method) और अभिक्रमित अधिगम विधि (Programmed Learning Method) आदि को अपनाया जा सकता है।

6. व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने के कुछ अलग उपाय अपनाना (Adopting other measures of individualizing instruction)—व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से कुछ निम्न व्यावहारिक सुझाव भी काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं—

(i) श्रेणी या उपश्रेणी (Class or Section) में विद्यार्थियों की संख्या जितनी कम से कम रखी जा सके उतनी रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(ii) विद्यार्थियों के ऊपर जितना सम्भव हो सके, अध्यापक द्वारा उतना व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिये।

(iii) प्रायः कक्षा के विद्यार्थियों को समान योग्यताओं और रुचियों आदि के दृष्टिकोण से समूहों में विभक्त करना सम्भव नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में पिछड़े हुये, मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बच्चों के लिये विशेष रूप से अलग अभ्यास कराने और निर्देशन देने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर जो समस्यायें पैदा होती हैं, उनका निराकरण करने के लिये सभी ओर से प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। अध्यापकों, विद्यालय अधिकारियों, माता-पिता तथा स्वयंसेवक और सरकारी संगठनों आदि को वैयक्तिक विकास करने के लिये हाथ से हाथ मिला कर कार्य करना चाहिये।